न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी— अर्पिता सोनी, आरएएस

अपील नं. 01/2020
आरसीएमएस : 2020/00036

1. सुरजीत सिंह पुत्र हरी सिंह जाति रायसिख निवासी 15 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

—अपीलांट

बनाम

1. बूटा सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति रायसिख निवासी 15 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

2/1 छिन्दा कौर पत्नी
2/2 मलकीत सिंह
2/3 सीमा,
2/4 अमनदीप कौर पुत्री
} माला सिंह जाति रायसिख निवासी 11 एसजर एम ग्राम पंचायत रोजड़ी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0

2/5 मनदीप सिंह पुत्र माला सिंह जाति रायसिख निवासी 11 एसजर एम ग्राम पंचायत रोजड़ी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0 नाबालिग प्राकृतिक माता छिन्दा कौर

3. प्रीतो बाई पुत्री निहाल सिंह पत्नी नंद सिंह जाति रायसिख निवासी 37 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

4. सरपंच ग्राम पंचायत मालसर 4 एसएडी पंचायत समिति रायसिंहनगर

5. सचिव ग्राम पंचायत मालसर 4 एसएडी पंचायत समिति रायसिंहनगर

6. राजस्थान सरकार जरिये भू अभिलेख रायसिंहनगर

—रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति—
1. श्री दिनेश कुमार जोशी, वकील अपीलांट
2. श्री मनिन्द्र कुमार, वकील रेस्पोंडेंट सं. 1

— निर्णय —

दिनांक 01.09.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट ने अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 व 14 सीमा अधिनियम व धारा 151 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 3(क) व 5 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत की। अपलांट ने अपील विरूद्ध विरासतन इंतकाल सं. 249 द्वारा ग्राम पंचायत मालसर 4 एसएडी पंचायत स्वीकृति दिनांक 20.03.2015 जिसके द्वारा विरासतन इन्तकाल निहाल सिंह के वारिसान के नाम से दर्ज किया गया को निरस्त करने एवं उसके पश्चात हुये उत्तरोतर इन्तकालों को अपास्त किये जाने की प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 15 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के प.सं. 167/336 मु.नं. 77 नया पुराना 80 की कि.नं. 1 ता 12 व 13/1 में स्थित 3.162है. बारानी व प.नं. 168/336 मु.नं. नया 78 पुराना 81 के कि.नं. 1 ता 25 में स्थित 6.325है. बारानी कृषि भूमि कुल 9.487है. बारानी कृषि भूमि रेस्पोंडेंट के पिता/ससुर/दादा के नाम से रिफयुजी आरजी काश्त पर चल रही थी। उपरोक्त कृषि भूमि को विक्रय करने का सौदा रेस्पोंडेंट के पिता/ससुर/दादा ने अपीलांट के साथ जरिए इकरारनामा भूमि विक्रय दिनांक 22.06.1998 अखरे डेढ लाख रुपये में विक्रय करने का किया जिसके अनुक्रम में पूर्व के इकरारनामा दिनांक 22.06.1998 की अनुउपलब्धता के पश्चात दिनांक 29.02.2000 को पुनः इकरारनामा किया गया। उत्तरोतर अनुक्रम में जरिये इन्तकाल सं. 244 [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह के नाम से भूमि का इनतकाल दर्ज हुआ। निहाल सिंह की मृत्यु के पश्चात वर्णित [illegible] के संदर्भ में सूचना देने के दायित्व से बचते हुए रेस्पोंडेंट 1 व [illegible] /पिता माला सिंह ने विरास्तन इन्तकाल सं. 249 अपने नाम से [illegible] पूरी तरह परिचित व वाकिफ थे कि निहाल सिंह ने अपने जीवन काल में [illegible] विवादित भूमि अपीलांट को जरिए बैयनामा विक्रय कर दी थी। बरोज इकरारनामा अपीलांट [illegible] वर्णित भूमि मु.नं. 81 कि[illegible] 24 में ढाणी बनाकर अपने परिवार सहित शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। [illegible] सं. 244, 249 के पश्चात रेस्पोंडेंट के पति/पिता द्वारा जरिए इंतकाल सं. 250 वर्णित भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.10.25 16:30:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

...जीत सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति जटसिख साकिन 6 एपीडी तहसील श्रीविजयनगर को ...य कर दी जिसका पता चलने पर अपीलांट के द्वारा रेस्पॉडेंट के पति/पिता व अन्य के ...रुद्ध श्रीमान सिविल न्यायाधीश रायसिंहनगर के समक्ष वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश ...या। जिसमें अपीलांट के पक्ष में स्थगन पारित की किया गया हैं। श्रीमान अपर जिला एवं ...शन न्यायाधीश रायसिंहनगर में अपीलांट द्वारा एक अपील एवं प्रार्थना पत्र दायर किया गया हैं। इसके अतिरिक्त श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसिंहनगर के समक्ष एक फौजदारी प्रकरण विवादित भूमि के कब्जे एवं अपराध के संबंध में विचारित हैं। विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाहीयों के अनुक्रम मे, अपीलांट की असाक्षरता एवं आर्थिक हालात के मध्यनजर प्रार्थी इन्तकाल सं. 249 के विरूद्ध अपील मियाद में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। जो सदभाविक होने के कारण क्षमा किये जाने योग्य हैं। ग्राम पंचायत मालसर द्वारा दिनांक 20.03.2015 को स्वीकृत इन्तकाल सं. 249 में ग्रा.पं. ने बिना विधि प्रक्रिया अपनाये नियमविरूद्ध तरीके से वर्णित इन्तकाल का इन्द्राज रेस्पॉडेंट के पिता/पति से मिलिभगत कर किया। रेस्पॉडेंट को फायदा पहुंचाने की नियत से इंतकाल सं. 244/249/250 अत्यन्त सीमित अवधि के दौरान दर्ज किया गया हैं। तीनों इंतकालों के मध्य मात्र 1 माह की अवधि वर्णित हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया ही वर्णित इन्तकाल निरस्त किये जाने योग्य हैं। ग्राम पंचायत द्वारा विवादास्पद इन्तकाल सं. 249 के संदर्भ में अपने रिकार्ड में राज. पंचायतीराज अधि. 1994 एवं नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी हैं। विवादित इन्तकाल प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य हैं। इन्तकाल सं. 249 दिनांक 20.03.2015 द्वारा ग्राम पंचायत मालसर 4 एसएडी को निरस्त करने एवं विवादित प्रथमत इन्तकाल एवं पश्चातवर्ती इन्तकाल को प्रभावहीन, अवैध एवं शून्य घोषित कर विवादित भूमि को क्रेता दर्शन सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉडेंट को तलब किया गया। रेस्पों सं. 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आए। रेस्पो. सं. 2/1 से 2/5 के विरूद्ध दिनांक 05.01.2021 एवं रेस्पों सं. 3 के विरूद्ध दिनांक 05.04.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। रेस्पों सं. 4–5 को विभागीय एंव 6 को भू धारक होने के नाते पक्षकार संयोजित किया गया हैं। ग्राम पंचायत से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किया गया। रिकार्ड ग्रा.पं. बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर प्राप्त हुआ।

बहस अपीलांट एंव रेस्पों सं. 1 सुनी गयी। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट की क्रयशुदा भूमि हैं। रेस्पॉडेंट के पति/पिता माला सिंह के द्वारा ग्राम पंचायत से मिलीभगत करते हुए विधि विरूद्ध तरीके से इंतकाल पारित करवाए हैं जो कि काबिल निरस्ती के हैं। विवादित भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में अपीलांट की ओर से वाद/अपील आदि दायर किये गये हैं। विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाहीयों के अनुक्रम में, अपीलांट की असाक्षरता एवं आर्थिक हालात के मध्यनजर अपील मियाद में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। जो सदभाविक होने के कारण क्षमा किये जाने योग्य हैं। इस हेतु अपीलांट द्वारा प्रा. पत्र मियाद 5 सीमा अधि. का भी पेश किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिविरूद्ध पारित किये गये इंतकाल सं. 249 दिनांक 20.03.2015 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया। वकील रेस्पॉडेंट ने अपनी बहस में कथन किया ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रया अपनातु हुए विरास्तन इंतकाल पारित किया हैं। अपील अपीलांट खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु निवेदन किया गया हैं। अपीलार्थी द्वारा अपील के समर्थन में न्यायालय श्री मान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश में विचाराधीन प्रकरण की आदेशिकाओं की प्रतियां प्रस्तुत की हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 व 14 सीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं। अंपीलार्थी द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 3क–5 सीपीसी का ... ...श पारित किया गया था। चूकिं प्रकरण में मूल अपील का निर्णय पारित ... जा... हैं। अतः प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह गयी है ... ...5 सीपीसी खारिज किया जाता हैं।ग्राम पंचायत मालसर 4 एसएडी के बैठक ... ...ही विवरण रजिस्टर एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इंतकाल सं. 249 स्वीकृत दिनांक 20.0... ...015 का अवलोकन किया। चक 15 एनपी के इंतकाल सं. 249 विरास्तन इंतकाल में मु.नं. 77–78 की कुल 9.487है. भूमि निहाल सिंह के फौत होने कारण जरिए विरास्तन बूड सिंह, माला सिंह आदि के नाम से दर्ज की गयी

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.10.25 16:30:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

जिसमें दिनांक 20.03.2015 का संरपंच ग्राम पंचायत मालसर का स्वीकृति नोट अंकित हैं। बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर प्रविष्ठी दिनांक 20.03.2015 के अवलोकन में पाया कि तत्काल सं. 249 ग्राम सभा की बैठक के समक्ष वास्ते तस्दीक प्रस्तुत नहीं हुआ हैं। ना ही ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जानी न्यायोचित प्रतीत होती हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन चक 15 एनपी तहसील रायसिंहनगर का नामान्तरकरण सं. 249 स्वीकृत दिनांक 20.03.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रायसिंहनगर को इस आदेशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलांट अथवा रेस्पोडेंट में से किसी भी पक्षकार द्वारा नामान्तरकरण हेतु आवेदन किया जाने पर उभयपक्ष को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए समुचित जांच के उपरान्त पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.10.25 16:30:47 IST
Reason: SelfAttested